

FROM No. III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु..... मुकाम.....

..... इरला राय शेर बनाम..... डुगारिप शेर  
किस्म मुकदमा..... स. मा. 111/128 ..... नं. 160/2012 सन्.....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.04.22	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री ..... <u>उपस्थित</u> .....</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/बाद/अपील धारा ..... <u>111/128</u> .....</p> <p>राजस्थान-कायदाकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>18.05.22</u> को पेश हो।</p>	
18/05/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थी/गणों के नोटिस तामील शुद्ध प्राप्त लिखे शामिल पत्रावली किमा गभा विप्रार्थी/गणों वावजुद तामिल अनुपस्थित / न्यायालय सम्पन तीन बार डावाज लगाई गई इन्तिम डावाज 5-45 PM पर लगाई गई, विप्रार्थी/गण स्वयं भा उनकी ओर से कोई इच्छिवता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थी/गणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही डायल में लाई जाती हां डातः वास्तु नरर पत्रावली दिनांक <u>30/05/2022</u> को पेश हो / <u>म</u></p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु</p>

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
जिला-बाड़मेर

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

30/05/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बाबजुद तागिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई. प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
जिला-बाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड  
क्रमांक : वाद / 2022 / 811  
प्रार्थी

1. अचलाराम पुत्र विहाराराम वर्ग-2  
जाति जाट, निवासी बलोगियों की  
पटवार मण्डल रतेऊ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 811

दिनांक : 20/05/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. अचलाराम पुत्र विशनाराम वगैरा 07,  
जाति जाट, निवासी दलोणियों की ढाणी,  
पटवार मण्डल रतेऊ,  
तहसील गिडा (बाड़मेर)

1. दुर्गाराम पुत्र कोहलाराम वगैरा 09,  
जाति जाट, निवासी दलोणियों की ढाणी,  
पटवार मण्डल रतेऊ,  
तहसील गिडा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 160 / 2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - दलोणियों की ढाणी, पटवार मण्डल - रतेऊ, तहसील - गिडा, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 182 रकबा 17.7171 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद / 2022 / 812 - 816

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिडा
2. पटवारी हल्का रतेऊ को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री अचलाराम पुत्र विशनाराम वगैरा 07,
4. विप्रार्थी श्री दुर्गाराम पुत्र कोहलाराम वगैरा 09,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिडा/नागाणा।

(जगदीश सिंह आशिया)  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
जिला-बाड़मेर  
दिनांक : 20/05/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
जिला-बाड़मेर